



2026:AHC: 45447-DB

17.10.2025 को सुरक्षित

27.02.2026 को पारित

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या- 6808/2022

लताफत

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : गिरजेश कुमार गुप्ता, संदीप कुमार शुक्ला, अमित डगा,
अरुण कुमार तिवारी, अश्विनी कुमार ओझा, शिव शंकर
प्रसाद गुप्ता

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चन्द्र सामंत

(माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चन्द्र सामंत द्वारा प्रदत्त)

प्रस्तावना

1- वर्तमान आपराधिक अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (द.प्र.सं.) की धारा 374 (2) के अंतर्गत विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हापुड़ द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 244 वर्ष 2019, धारा 302 भा.द.सं., थाना-गढ़मुक्तेश्वर, जनपद-हापुड़ से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या 239 वर्ष 2019 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम लताफत एवं अन्य) में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 24.08.2022 और 27.08.2022 को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

2- आक्षेपित निर्णय एवं आदेश द्वारा, अपीलार्थी-लताफत को धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत आजीवन कारावास और 50,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है और अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में अपीलार्थी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का निर्देश दिया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियोजन कथानक

3- संक्षेप में, एफ.आई.आर. के अनुसार अभियोजन का प्रकरण यह है कि शिकायतकर्ता की बहन का विवाह कथित घटना से साढ़े छह साल पूर्व अपीलार्थी के साथ संपन्न हुआ था। अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्य उपहारों और दहेज से खुश नहीं थे और वे शिकायतकर्ता से एक कार और 5,00,000/- रुपये की मांग कर रहे थे और उन्होंने धमकी भी दी थी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो उसकी बहन को जान से मार दिया जाएगा। 09.06.2019 को शिकायतकर्ता को उसकी बहन के ससुराल से फोन आया कि अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों द्वारा उसकी बहन की हत्या कर दी गई है।

विचारण से पूर्व की कार्यवाही

विवेचना एवं चिकित्सा निष्कर्ष:

4- विवेचना:

- मृतक की मृत्यु की सूचना मिलने पर उप-निरीक्षक विनोद कुमार (पी.डब्ल्यू.-11) मौके पर पहुंचे और 09.06.2019 को पंचायतनामा की कार्यवाही किया और पंचायतनामा रिपोर्ट प्रदर्श क-3, फोटो-नाश प्रदर्श क-4, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र प्रदर्श क-5, पुलिस फॉर्म 33 प्रदर्श क-6 और नमूना मुहर प्रदर्श क-7 तैयार किया।
- शिकायतकर्ता की लिखित आख्या प्रदर्श क-1 के आधार पर लताफत, नासिर और 5 अन्य के विरुद्ध धारा 498ए, 506, 304बी भा.द.सं. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज किया गया, जिसका प्रारंभिक विवेचना अशोक कुमार शुक्ला (पी.डब्ल्यू.-12) द्वारा किया गया, जिन्होंने विवाह के 7 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के आधार पर अपराध को धारा 304बी से धारा 302 भा.द.सं. में परिवर्तित कर दिया।
- बाद में विवेचना थानाध्यक्ष राज पाल सिंह तोमर (पी.डब्ल्यू.-13) द्वारा किया गया।
- विवेचना के दौरान एफ.आई.आर. के लेखक, शिकायतकर्ता, डॉक्टर और अन्य साक्षियों के बयान दर्ज किए गए थे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- पी.डब्ल्यू.-12 अशोक कुमार शुक्ला ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और नक्शा-नजरी (प्रदर्शक-8) तैयार किया।
- बरामदगी: मृतका के कपड़े (माल प्रदर्श 1 से 5), तीन करेंसी नोट, एक चाबी और एक नाक की कील (माल प्रदर्श 6 से 9) विवेचना अधिकारी पी.डब्ल्यू.-12 द्वारा एकत्र किए गए, जिन्हें पोस्टमार्टम परीक्षण करते समय डॉक्टर पी.डब्ल्यू.-10 द्वारा कब्जे में लिया गया था।
- विवेचना पूर्ण करने के बाद, विवेचना अधिकारी राज पाल सिंह (पी.डब्ल्यू.-13) द्वारा अभियुक्त लताफत और नासिर के विरुद्ध धारा 302, 498ए, 506 भारतीय दंड संहिता (भा.द.सं.) के अंतर्गत आरोप-पत्र संख्या 244 वर्ष 2019 (प्रदर्शक-9) प्रस्तुत किया गया और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना जारी रहा था।
- तत्पश्चात विवेचना अधिकारी पी.डब्ल्यू.-13 द्वारा दिनांक 18.12.2019 को दूसरी अंतिम रिपोर्ट (प्रदर्शक-10) इस निष्कर्ष के साथ प्रस्तुत किया गया कि अन्य शेष अभियुक्त घटना में संलिप्त नहीं पाए गए हैं।

5- शमा परवीन का पोस्टमार्टम परीक्षण (शव परीक्षण निष्कर्ष और मृत्यु का कारण):

- डॉ. संजय सिंह (पी.डब्ल्यू.-10) ने 09.06.2019 को दोपहर 02:48 बजे मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया (प्रदर्शक-2)।
- शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें पाया गया है:

बाह्य परीक्षण

- I. चेहरे के बाईं ओर बाएं कान के नीचे 3 सेमी गुणा 1 सेमी के क्षेत्र में खरोंच।
- II. गर्दन के मध्य में दाहिनी ओर और दाहिने कान के 6 सेमी नीचे 1 सेमी गुणा 1 सेमी आकार का गुम चोट।
- III. दाहिने कंधे के सिरे से कंधे के डेल्टॉइड क्षेत्र तक 9 सेमी गुणा 4 सेमी आकार का गुम चोट।
- IV. चोट संख्या 3 के 55 सेमी नीचे और दाहिनी कोहनी से 12 सेमी ऊपर 4 सेमी गुणा 7 सेमी आकार का गुम चोट।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



V. दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली (ऊपरी आधार) पर 2 सेमी गुणा 1.5 सेमी आकार का गुम चोट।

VI. दाहिने स्कैपुला के निचले पार्श्व किनारे पर 8 सेमी गुणा 1 सेमी आकार का गुम चोट।

VII. बाईं कलाई से 5 सेमी ऊपर बाईं अग्रबाहु (मध्यवर्ती किनारा) पर 2 सेमी गुणा 0.5 सेमी आकार की खरोंच।

आंतरिक परीक्षण

6- शमा परवीन के शरीर के आंतरिक परीक्षण के दौरान, डॉक्टर को महत्वपूर्ण आंतरिक चोटें/लक्षण मिले:

- गला, यकृत, प्लीहा, गुर्दा और फेफड़े संकुलित थे। हृदय का दाहिना भाग गहरे लाल रक्त से भरा हुआ था। पेट खाली था जिसमें 100 मिलीलीटर तरल था।
- अन्य निष्कर्ष: मुँह से खून निकल रहा था और नाक तथा मुँह में झाग मौजूद था। मुँह और आँखें बंद थीं। चेहरा और आँखें संकुलित थीं। चेहरे पर पेटेकियल रक्तस्राव मौजूद था।
- मृत्यु का कारण: डॉक्टर की राय में, मृत्यु पोस्टमार्टम परीक्षण से लगभग 12 से 24 घंटे पहले श्वासवरोध के कारण हुई प्रतीत हो रही थी। मृत्यु के तरीके का निर्धारण करने के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया था।

आरोप एवं विचारण का प्रारंभ:

7- विवेचना पूर्ण होने के बाद, विवेचना अधिकारी ने अभियुक्त लताफत और नासिर के विरुद्ध आरोप-पत्र (प्रदर्श क-9) प्रस्तुत किया गया।

• विरचित आरोप (30.09.2019):

- धारा 302/149, 498-ए, 506 भा.द.सं. और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम दृष्टया प्रकरण पाया गया (सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में हत्या की श्रेणी में आने वाला आपराधिक मानव वध कारित करना, दहेज की मांग एवं प्राप्ति और आपराधिक धमकी देना)।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- अभिवाक: अभियुक्तों ने आरोपों के प्रति निर्दोष होने का अभिवाक किया और विचारण की मांग किया।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य:

दस्तावेजी साक्ष्य:

अभियोजन ने निम्नलिखित मुख्य दस्तावेज (प्रदर्श) प्रस्तुत किए:

- प्रदर्श क-1: लिखित रिपोर्ट (तहरीर)।
- प्रदर्श क-2: शव परीक्षा आख्या (पोस्टमार्टम रिपोर्ट)।
- प्रदर्श क-3: पंचायतनामा रिपोर्ट
- प्रदर्श क-4: फोटो-नाश।
- प्रदर्श क-5: मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र।
- प्रदर्श क-6: पुलिस फॉर्म 33।
- प्रदर्श क-7: नमूना मुहर।
- प्रदर्श क-8: नक्शा-नजरी।
- प्रदर्श क-9-10: अंतिम रिपोर्ट।
- प्रदर्श क-11: प्रथम सूचना रिपोर्ट।
- प्रदर्श क-12: जी.डी. प्रविष्टि।

वस्तु साक्ष्य:

शव परीक्षा के दौरान मृतका के शरीर से डॉक्टर द्वारा निम्नलिखित वस्तुएं बरामद की गई हैं, जिन्हें पी.डब्ल्यू.-12 द्वारा सिद्ध किया गया है:

कपड़े का बंडल, सूट, सलवार, दुपट्टा, ब्रा, प्रत्येक 10/- रुपये के तीन करेंसी नोट, एक चाबी, और एक नाक की कील (क्रमशः प्रदर्श 1 से 09)।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साक्षियों की गवाही:

अभियोजन ने निम्नलिखित मुख्य साक्षियों को प्रस्तुत किया:

साक्षी का प्रकार	नाम/पदनाम	पी.डब्ल्यू. संख्या
शिकायतकर्ता/सूचनादाता	मो० शानू	पी.डब्ल्यू.-1
साक्षी	कामिल चौधरी	पी.डब्ल्यू.-2
साक्षी	परवेज	पी.डब्ल्यू.-3
साक्षी	गुलफाम	पी.डब्ल्यू.-4
साक्षी	मो० यूनुस	पी.डब्ल्यू.-5
साक्षी	सायरा बानो	पी.डब्ल्यू.-6
साक्षी	फारुख	पी.डब्ल्यू.-7
साक्षी	फकरुद्दीन	पी.डब्ल्यू.-8
साक्षी	सलमान	पी.डब्ल्यू.-9
परीक्षण करने वाले डॉक्टर	डॉ. संजय सिंह	पी.डब्ल्यू.-10
विवेचना अधिकारी	उ०नि० विनोद कुमार	पी.डब्ल्यू.-11
प्रथम विवेचना अधिकारी	उ०नि० अशोक कुमार शुक्ला	पी.डब्ल्यू.-12
द्वितीय विवेचना अधिकारी	थानाध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर	पी.डब्ल्यू.-13

अपीलार्थी ने धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अपने बयानों में आरोपों से इनकार किया और झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया। बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्क

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



8- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 24.08.2022 तथा 27.08.2022 विधिक रूप से अक्षम्य, त्रुटिपूर्ण और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के विपरीत हैं, जिन्हें भौतिक तथ्यों के उचित मूल्यांकन के बिना नियमित और यांत्रिक तरीके से पारित किया गया है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण में कमियों को दूर करने के लिए अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करके विधि की गंभीर भूल की है, जिससे इस स्थापित सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है कि संदेह का कोई भी लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए; फलस्वरूप, अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में महत्वपूर्ण दुर्बलताओं और कमियों के बावजूद, न्यायालय ने गलत तरीके से अपीलार्थी के विरुद्ध दोष का निष्कर्ष दर्ज किया है।

9- विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान वाद में कोई प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी विवरण नहीं है। सभी अभियोजन साक्षी, जो तथ्य के साक्षी थे, उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही में अभियोजन के संस्करण का समर्थन नहीं किया है। हालांकि, विद्वान विचारण न्यायालय इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करने में विफल रहा और बिना किसी विश्वसनीय साक्ष्य के अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दण्डादिष्ट कर दिया है।

10- विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को केवल संदेह और आशंका के आधार पर झूठा फंसाया गया है। ऐसे संदेह के अतिरिक्त, अपीलार्थी को कथित अपराध से जोड़ने वाला कोई साक्ष्य नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत अपीलार्थी पर साक्ष्य का भार स्थानांतरित करने में त्रुटि की है।

11- विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि विवेचना अधिकारी ने स्वयं पांच अन्य अभियुक्तों को फंसाया जाना गलत पाया और उन्हें वाद से मुक्त कर दिया। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभियोजन का प्रकरण अपनी शुरुआत से ही संदिग्ध और अविश्वसनीय था।

12- आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि डॉक्टर, डॉ. संजय सिंह, जिन्होंने पोस्टमार्टम परीक्षण किया था और पी.डब्ल्यू.-10 के रूप में परीक्षित हुए थे, उन्होंने श्रेणीबद्ध रूप से बताया कि केवल एक संदेह था कि मृतका की मृत्यु श्वासरोध के कारण हुई थी। हत्या के कारण मृत्यु के संबंध में कोई निश्चित चिकित्सा राय नहीं थी, जो अभियोजन पक्ष के प्रकरण को और कमजोर करती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13- विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि हालांकि विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों के उसी समूह पर सह-अभियुक्त नासिर को दोषमुक्त कर दिया, लेकिन अपीलार्थी को केवल इसलिए दोषसिद्ध किया गया है क्योंकि वह मृतका का पति है। समान साक्ष्यों पर ऐसा विभेदकारी व्यवहार पूरी तरह से मनमाना और विधि में अपोषणीय है।

14- आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों ने स्वयं सूचनादाता और अन्य व्यक्तियों को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सूचित किया था। यह आचरण दोष के सिद्धांत के साथ असंगत है, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय इस प्रासंगिक परिस्थिति पर विचार करने में विफल रहा है।

15- विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उद्देश्य की अनुपस्थिति और क्रूरता के प्रमाण के अभाव के बावजूद, विद्वान विचारण न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 पर अनुचित भरोसा करके अपीलार्थी को धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत गलत तरीके से दोषसिद्ध किया, जो अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के भार का विकल्प नहीं हो सकता है।

16- यह आगे तर्क दिया गया है कि कथित अपराध कारित करने के लिए अपीलार्थी पर बिल्कुल भी कोई उद्देश्य अधिरोपित नहीं किया गया है, और न ही अभियोजन ने विचारण के दौरान किसी उद्देश्य को सिद्ध किया है। परिस्थितियों के साक्ष्य पर आधारित वाद में, उद्देश्य परिस्थितियों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसकी अनुपस्थिति अभियोजन के वाद के लिए घातक है।

17- विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वयं यह निष्कर्ष दर्ज किया कि वर्तमान वाद परिस्थितियों के साक्ष्य पर आधारित है। हालांकि, अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की एक पूर्ण और अखंड श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा है, जो अपीलार्थी के दोष की ओर अचूक संकेत करती हो और निर्दोषता की हर परिकल्पना को अपवर्जित करती हो।

18- आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस तथ्य से उत्पन्न होने वाले मात्र संदेह के अलावा कि अपीलार्थी मृतका का पति है और घटना ससुराल में हुई थी, अपीलार्थी को कथित अपराध से जोड़ने वाला कोई साक्ष्य नहीं है। इसके विपरीत, साक्ष्य बताते हैं कि मृत्यु एक दुर्घटना के कारण हुई होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19- विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अंकित अपीलार्थी और सह-अभियुक्त नासिर के बयान स्पष्ट रूप से अभिकथनों से इनकार करते हैं और दावा करते हैं कि मृतका की मृत्यु आकस्मिक चोटों के कारण हुई थी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस बचाव पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयज विधियों पर भरोसा किया है- (1) रवि बनाम पंजाब राज्य- 2025 आईएनएससी 170, (2) राकेश एवं अन्य- 2022:एचसी:206581-डीबी, (3) कल्लू उर्फ कल्याण सिंह- 2022:एचसी:115465-डीबी और (4) शिवाजी चिंताप्पा पाटिल- एआईआर 2021 एससी 1249।

राज्य/प्रत्यर्थी के अधिवक्ता के तर्क

20- इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (एजीए) ने अपीलार्थियों के तर्कों का पुरजोर विरोध किया है, और तर्क प्रस्तुत किया है कि वाद परिस्थितियों के साक्ष्य पर आधारित है, जो हत्या की श्रेणी में आने वाले आपराधिक मानव वध के अपराध से संबंधित है। अभियोजन ने तथ्य के नौ साक्षी (पी.डब्ल्यू.1 से पी.डब्ल्यू.9) प्रस्तुत किए हैं, लेकिन तथ्य के सभी साक्षी, अभियोजन के वाद का समर्थन नहीं कर सके और पक्षद्रोही हो गए। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी साक्षी से मृतका की मृत्यु के तरीके का साक्षी होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। उनके बयान केवल अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 498ए भा.द.सं. और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों के लिए प्रासंगिक हैं।

21- आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि तथ्य के साक्षीगण के पक्षद्रोही होने के बावजूद, लिखित रिपोर्ट अर्थात् तहरीर को पी.डब्ल्यू.1 (प्रदर्श-क-1) द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसमें सूचनादाता ने कहा है कि उसे अभियुक्त द्वारा सूचित किया गया था कि उन्होंने सूचनादाता की बहन को मार दिया है। यह तथ्य इस ओर संकेत करता है कि मृत्यु किसी संदिग्ध परिस्थिति में हुई थी। विद्वान एजीए द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत लगाए गए आरोपों को स्थापित करने के लिए, परिस्थितियों की श्रृंखला बनाने वाले सभी कड़ी और तथ्यों को अभियोजन द्वारा पूरी तरह से स्थापित और सिद्ध किया गया है, जो यह सुझाव देते हैं कि मृतका की हत्या अभियुक्त द्वारा की गई है।

22- यह भी तर्क दिया गया है कि घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति सिद्ध है। अपीलार्थी मृतका का पति है, अतः, वह घटना के बारे में दूसरों को सूचित करने के लिए बाध्य था, जो कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं किया गया है, इसलिए, यह अभियुक्त लताफत के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि उसने मृतका की हत्या किया है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जहाँ श्रृंखला की सभी कड़ियाँ स्थापित हैं, जो केवल और केवल एक ही तथ्य का सुझाव देती हैं कि अभियुक्त लताफत कथित अपराध कारित करने के लिए अपराधी है, वहाँ उद्देश्य अपना महत्व खो देता है।

23- राज्य के विद्वान एजीए द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि, भले ही अपराध कारित करने के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्रकट करती है कि मृतका की मृत्यु मृत्यु-पूर्व गला घोटने/दबाने के परिणामस्वरूप श्वासवरोध के कारण हुई थी। शव परीक्षण के दौरान डॉक्टर द्वारा अंकित किए गए लक्षण सामूहिक रूप से इंगित करते हैं कि मृत्यु प्रकृति में हत्यात्मक थी और किसी व्यक्ति ने मृतका की मृत्यु कारित करके अपराध किया था। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी, मृतका का पति होने के नाते और घटना के समय घर में उपस्थित होने के कारण, उन परिस्थितियों को समझाने के लिए विधिक रूप से बाध्य था, जिनमें मृत्यु हुई थी। हालांकि, वह इस संबंध में कोई प्रशंसनीय या संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है।

24- अपने तर्कों के समर्थन में राज्य के विद्वान एजीए ने **प्रेम सिंह बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य, (2023) 3 एससीसी 372** में प्रतिवेदित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।

विचारण न्यायालय के निष्कर्ष

25- विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, जिसमें अभियोजन साक्षियों की गवाही और संबंधित डॉक्टर द्वारा सिद्ध की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल है, एक श्रेणीबद्ध निष्कर्ष दर्ज किया कि कथित घटना का कोई प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी विवरण नहीं था और अभियोजन का प्रकरण पूरी तरह से परिस्थितियों के साक्ष्य पर आधारित था। वाद का न्यायनिर्णयन करते समय, विचारण न्यायालय ने अवलोकन किया कि परिस्थितियों के साक्ष्य पर आधारित वाद में, परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण, ठोस और सुसंगत होनी चाहिए कि वह केवल इसी अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाए कि अभियुक्त ने और न कि किसी अन्य ने अपराध किया है, और झूठा फंसाए जाने की संभावना पूरी तरह से अपवर्जित हो।

26- इस संबंध में, विचारण न्यायालय ने **शरद बिधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1984 एससी 1661** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया और परिस्थितियों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के साक्ष्य पर दोषसिद्धि को नियंत्रित करने वाले स्थापित सिद्धांतों को दोहराया। विचारण न्यायालय ने उसमें निर्धारित पांच सुनहरे सिद्धांतों को उद्धृत और लागू किया, यथा:

1. वे परिस्थितियाँ जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए और न कि केवल "हो सकती है" स्थापित होनी चाहिए;
2. इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के साथ सुसंगत होने चाहिए;
3. परिस्थितियाँ निर्णयात्मक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;
4. उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अतिरिक्त हर संभव परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए; और
5. साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए, जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषता के साथ सुसंगत निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह प्रदर्शित करे कि पूरी मानवीय संभावना में यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

27- उपरोक्त विधिक सिद्धांतों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त की दोषिता के संबंध में अपने निष्कर्ष दर्ज किए थे।

28- विचारण न्यायालय ने आगे दर्ज किया कि, चूंकि वाद पूरी तरह से परिस्थितियों के साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए साक्ष्य के भार का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। न्यायालय ने अवलोकन किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 वर्तमान वाद में लागू होती है, क्योंकि कुछ तथ्य विशेष रूप से अभियुक्त की जानकारी में थे। इसलिए, अभियुक्त के लिए उन तथ्यों के संबंध में एक उचित स्पष्टीकरण देना आवश्यक था। विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि अभियुक्त संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो ऐसी विफलता को उसके विरुद्ध साक्ष्य की श्रृंखला को पूरा करने में एक अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में लिया जा सकता है।

29- विचारण न्यायालय ने आगे दर्ज किया कि सभी अभियोजन साक्ष्यों ने केवल दहेज की कथित मांग के संबंध में गवाही दिया है। हालांकि, किसी भी साक्षी ने यह नहीं बताया कि अभियुक्तों द्वारा कभी भी उनकी उपस्थिति में या उनसे या मृतका के परिवार के सदस्यों से दहेज की कोई मांग की गई थी। पी.डब्ल्यू.-5 और पी.डब्ल्यू.-6, जो मृतका के माता-पिता हैं, उन्होंने भी स्पष्ट अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रूप से इनकार किया कि अभियुक्त द्वारा दहेज की कोई मांग की गई थी। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने पाया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 और धारा 498-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अभिकथनों का समर्थन करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है।

30- विचारण न्यायालय ने आगे अवलोकन किया कि किसी भी साक्षी ने यह नहीं बताया है कि मृतका शमा परवीन की मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि घटना के समय कोई भी मौजूद नहीं था। साक्ष्य दर्शाते हैं कि उसकी मृत्यु के संबंध में सूचना उसके ससुराल से फोन पर प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसके परिवार के सदस्य वहां पहुंचे और उसका शव एक चारपाई पर पड़ा पाया। इन तथ्यों से, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु उसके ससुराल में हुई थी और यह कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी और सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई थी।

31- चिकित्सा साक्ष्य, विशेष रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करने पर, विचारण न्यायालय ने एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि शमा परवीन की मृत्यु गला घोटने के कारण श्वासरोध से हुई थी न कि बीमारी या छत से आकस्मिक गिरने के कारण हुई थी। न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि हालांकि अभियुक्तों द्वारा दहेज की मांग स्थापित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं था, और इसलिए दहेज से संबंधित मृत्यु का अभिकथन सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन यह निर्णायक रूप से स्थापित हो गया था कि मृतका की गला घोटकर हत्या की गई थी।

32- विचारण न्यायालय ने एक स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि जब अभियोजन द्वारा सिद्ध की गई सभी परिस्थितियों पर एक साथ विचार किया जाता है, तो वे एक पूर्ण श्रृंखला बनाती हैं, जो केवल अभियुक्त लताफत के दोष की ओर संकेत करती है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य केवल एक ही निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं, अर्थात्, मृतका शमा परवीन की हत्या उसके पति लताफत द्वारा गला घोटकर की गई थी, और कोई अन्य उचित दृष्टिकोण संभव नहीं है।

33- विचारण न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन ने उचित संदेह से परे सिद्ध कर दिया है कि अभियुक्त लताफत ने अपनी पत्नी की हत्या किया है। हालांकि, अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा कि अभियुक्त नासिर की हत्या में कोई भूमिका थी या वह किसी भी तरह से संलिप्त था। न्यायालय ने यह भी पाया कि किसी भी अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



34- तदनुसार, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त नासिर के विरुद्ध धारा 498-ए, 302 और 506 भा.द.सं. और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोप सिद्ध नहीं हुए। अभियुक्त लताफत के संबंध में, धारा 498-ए और 506 भा.द.सं. और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोप भी सिद्ध नहीं हुए। हालांकि, अभियुक्त लताफत के विरुद्ध धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पूरी तरह से सिद्ध पाया गया, और इसलिए उसे धारा 302 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया।

विश्लेषण और निष्कर्ष

35- अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (एजीए) द्वारा दिए गए विरोधी दलीलों को सुनने के बाद, और साक्ष्य अभिलेख की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, अब हम इस अपील के न्यायनिर्णयन की ओर बढ़ते हैं।

36- इस आपराधिक अपील का न्यायनिर्णयन करने के लिए, यह अनिवार्य है कि साक्ष्य अभिलेख की सावधानीपूर्वक जांच की जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या अभियोजन ने अपने साक्ष्य के भार का निर्वहन किया है। यह मूल्यांकन चार महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिका है: एफ.आई.आर. पंजीकरण की तत्परता और प्रामाणिकता, मृत्यु के कारण का चिकित्सीय निर्धारण, वह शारीरिक तरीका जिससे मृत्यु हुई, और अंततः, अपीलार्थी अभियुक्तों और कथित अपराध के बीच एक स्पष्ट, अखंड कड़ी की स्थापना।

37- आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने के बाद, वाद को विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया, जिसे सत्र विचारण संख्या 239 वर्ष 2019 के रूप में पंजीकृत किया गया। अभियुक्त अपीलार्थी लताफत और अन्य अभियुक्त नासिर पर तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, हापुड़ द्वारा 30.09.2019 को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, धारा 498ए, 506, और 302/149 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए।

38- अभियुक्त के दोष को स्थापित करने के उद्देश्य से की गई एक आपराधिक अभियोजन की उत्पत्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) के मूलभूत महत्व में निहित है। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज विवेचनात्मक प्रक्रिया के आधार के रूप में कार्य करता है, न्याय की मशीनरी को गति प्रदान करता है और प्रारंभिक, निष्पक्ष विवरण प्रदान करता है, जिस पर बाद में वाद की संपूर्ण सत्यनिष्ठा का निर्माण किया जाता है। वर्तमान वाद में, सूचनादाता द्वारा अपनी बहन के ससुराल पहुंचने और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वहां उसका शव पड़ा मिलने के बाद, उसी दिन अर्थात् 09.06.2019 को प्रभारी निरीक्षक, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, जिसे प्रदर्श क-1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें यह बताया गया था कि सूचनादाता ने अपनी बहन शमा का विवाह लगभग साढ़े छह साल पूर्व लताफत के साथ संपन्न किया था; कि पति, उसके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार विवाह के समय दिए गए दहेज से असंतुष्ट थे और बार-बार कार और 5,00,000 रुपये की मांग करते थे; कि कई पंचायतों के बावजूद, मृतका को जान से मारने की धमकियां लगातार दी जाती थीं; कि घटना की रात सूचनादाता को ससुराल से टेलीफोन आया कि उसकी बहन की हत्या कर दी गई है और उसका शव घर में पड़ा है; और यह कि मौके पर पहुंचने पर, सूचनादाता ने अपनी बहन का शव वहां पड़ा पाया, जिसकी हत्या अभियुक्तों द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। फिर, लिखित रिपोर्ट के आधार पर, दिनांक 09.06.2019 को धारा 498-ए, 506, 304बी भा.द.सं. और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत एक एफ.आई.आर. (प्रदर्श क-4) दर्ज की गई, इसलिए, यह स्थापित करता है कि अधिकारियों को मृतका के सगे भाई द्वारा तत्काल सूचना प्रदान की गई थी, जिसे प्रारंभिक प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए विधिवत दर्ज किया गया था।

39- जहां तक अभियोजन साक्षियों द्वारा अपनी गवाही में अभियोजन के प्रकरण का समर्थन न करने का प्रश्न है, पहले पी.डब्ल्यू.-1, शिकायतकर्ता, अर्थात् मो० शानू की गवाही का परीक्षण किया जाता है, यह पाया जाता है कि अपनी मुख्य परीक्षा में उसने बताया है कि उसकी बहन शमा का विवाह कथित घटना से लगभग साढ़े छह साल पूर्व लताफत के साथ हुआ था। 08.09.2019 को उसे उसके ससुराल से फोन आया कि शमा की मृत्यु हो गई है और उसका शव घर में पड़ा है। उसके ससुराल पहुंचने पर, सूचनादाता ने शमा का शव वहां पड़ा पाया। शाहिद और राजेंद्र सहित कई व्यक्ति मौके पर मौजूद थे। सलमान के माध्यम से एक लिखित रिपोर्ट तैयार कराई गई, जिस पर सूचनादाता ने हस्ताक्षर किए। अपनी गवाही में, सूचनादाता ने यह अभिकथन नहीं किया कि नासिर, रिफाकत, जावेद या साजिद ने उससे कार या 5,00,000/- रुपये की मांग की थी।

40- पी.डब्ल्यू.-2, साक्षी कामिल चौधरी, जो मृतका शमा परवीन का मामा है, ने भी बताया कि शमा परवीन के पिता ने अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार विवाह में उपहार और वस्तुएं दिया था। उसने आगे गवाही दी कि 09.06.2019 को लगभग 3:30 बजे अपराहन लताफत ने शानू को फोन किया और उसे सूचित किया कि उसकी बहन का निधन हो गया है। जब वह मृतका के ससुराल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पहुंचा तो वह चारपाई पर मृत पड़ी थी। पी.डब्ल्यू.-3, परवेज ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि अभियुक्तों ने शमा के परिवार के सदस्यों से दहेज की कोई मांग नहीं की थी। इसी तरह, पी.डब्ल्यू.-4, गुलफाम ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि अभियुक्त ने कभी भी मृतका के परिवार से कोई दहेज नहीं मांगा। पी.डब्ल्यू.-5, मोहम्मद यूनुस और पी.डब्ल्यू.-6, शायरा बानो, जो मृतका के माता-पिता हैं, उन्होंने भी बताया कि उनकी बेटी का विवाह लगभग 10 साल पहले अपीलार्थी के साथ हुआ था और उनकी बेटी के दो बच्चे थे, जो खुशी-खुशी रहते थे और तीन साल पहले किसी ने उनके बेटे-शानू को फोन करके सूचित किया था कि शमा की मृत्यु हो गई है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उनकी बेटी पर कभी कोई मांग नहीं की गई, न ही उन्होंने किसी को उसे पीटते देखा था। पी.डब्ल्यू.-7 फारूक, पी.डब्ल्यू.-8 फखरुद्दीन और पी.डब्ल्यू.-9 सलमान की गवाही अभियुक्तों द्वारा दहेज की मांग के संबंध में कोई भी अभिकथन प्रकट नहीं करती है। पी.डब्ल्यू.-7 और पी.डब्ल्यू.-8 ने केवल इतना बताया कि शमा परवीन की मृत्यु की सूचना मिलने पर, वे उसके ससुराल पहुंचे और उसका शव कपड़ों में लिपटा हुआ देखा, और उन्होंने पंचायतनामा की कार्यवाही पर अपने हस्ताक्षरों की पहचान किया। इसी तरह, पी.डब्ल्यू.-9 सलमान ने केवल इस तथ्य को सिद्ध किया कि उसने सूचनादाता शानू के कहने पर लिखित रिपोर्ट लिखी थी और अभिलेख पर उसकी पहचान किया था।

41- उपरोक्त सभी अभियोजन साक्षियों ने केवल दहेज की मांग के अभिकथन के संबंध में गवाही दी है, और उन्होंने निरंतर यह बताया है कि अभियुक्त द्वारा मृतका के परिवार से कभी कोई दहेज की मांग नहीं की गई थी। उक्त साक्षियों में से किसी ने भी मृत्यु के तरीके या मृतका की मृत्यु कैसे हुई, इसके संबंध में कोई बयान नहीं दिया है। इन परिस्थितियों में, अभियोजन साक्षियों को धारा 302 भा.द.सं. के आरोप के संबंध में पक्षद्रोही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उनकी गवाही विशेष रूप से दहेज की मांग के मुद्दे से संबंधित है।

42- पंचायतनामा रिपोर्ट (प्रदर्श क-3) के अनुसार, फारूक, कामिल चौधरी, फखरुद्दीन, परवेज गुलफाम और सरताज अहमद को पंच के रूप में नामित किया गया था। पंचायतनामा रिपोर्ट के अनुसार, मृतका का शव फर्श पर पड़ा पाया गया था और मृतका की गर्दन के दोनों ओर और दोनों कलाईयों पर नीले रंग के नीलगू निशान थे। पंचों और उ०नि० विनोद कुमार की राय में मृत्यु गला घोटने के कारण हुई प्रतीत हो रही थी। उक्त पंचायतनामा रिपोर्ट उ०नि० विनोद कुमार (पी.डब्ल्यू.-11) द्वारा सिद्ध किया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



43- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, शरीर की स्थिति (मृत्यु-पूर्व चोटें) सर्जन द्वारा अंकित किया गया था, जैसा कि यहाँ ऊपर उल्लेख किया गया है।

44- चूंकि अभियोजन के प्रकरण में प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी गवाही का अभाव है, इसलिए दोष का निर्धारण पूरी तरह से परिस्थितियों के साक्ष्य की ताकत पर निर्भर करता है, जिसके लिए न्यायालय को सिद्ध तथ्यों को सावधानीपूर्वक बुनने की आवश्यकता होती है, ताकि यह देखा जा सके कि क्या वे केवल अपीलार्थियों की ओर संकेत करने वाली एक अखंड श्रृंखला बनाते हैं।

45- परिस्थितियों के साक्ष्य पर आधारित वाद का न्यायनिर्णयन करते समय साक्ष्यों के मूल्यांकन के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शरद बिर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1984 एससी 1622** के वाद में सुनहरे सिद्धांत निर्धारित किए हैं जो यहाँ नीचे पुनरुत्पादित किए गए हैं: -

"(1) वे परिस्थितियाँ जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ 'चाहिए' न कि 'हो सकती हैं' स्थापित होनी चाहिए।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के साथ सुसंगत होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें अभियुक्त के दोषी होने के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए।

(3) परिस्थितियाँ निर्णयात्मक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अतिरिक्त हर संभव परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए, जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषता के साथ सुसंगत निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह प्रदर्शित करे कि पूरी मानवीय संभावना में यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

46- परिस्थितियों के साक्ष्य पर आधारित वादों में अभियोजन पक्ष को साक्ष्य की श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रत्येक कड़ी को स्थापित करना आवश्यक है। अभियुक्त के दोष के बारे में निर्णय लेने के लिए, सबसे पहले और महत्वपूर्ण रूप से, मृतका शमा परवीन की मृत्यु के तरीके और कारण की जांच किया जानी आवश्यक है। चूंकि अभियोजन मृत्यु के तरीके को सिद्ध करने के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लिए तथ्य के किसी भी साक्षी को प्रस्तुत करने में विफल रहा, इसलिए मृत्यु के तरीके और कारण का पता लगाने के लिए केवल मेडिको-लीगल साक्ष्य उपलब्ध हैं।

47- अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, यह हत्या की श्रेणी में आने वाला आपराधिक मानव वध का वाद है। अभिलेख पर कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो घटना को हत्या या आत्महत्या होने का संकेत दे सके। इन परिस्थितियों में, घटना की परिस्थितियों के संबंध में अन्य तथ्य अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उनसे अतिरिक्त देखभाल और सावधानी के साथ निपटा जाना चाहिए। चूंकि कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए चिकित्सा साक्ष्य, अर्थात् पोस्टमार्टम रिपोर्ट, महत्वपूर्ण हो जाती है। शव परीक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से श्वासवरोध के रूप में स्थापित होता है, जो मृत्यु की वास्तविक प्रकृति का पता लगाने के लिए आवश्यक नैदानिक आधार प्रदान करता है।

48- डॉक्टर संजय सिंह पी.डब्ल्यू.-10, जिन्होंने शव परीक्षण किया है, का परीक्षण किया गया है, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श क-2 को सिद्ध किया है। शव पूरी तरह अकड़ा हुआ था, नाक और मुँह से झाग निकल रहा था और मुँह से लाल खून बह रहा था। आँखें बंद थीं। चेहरा लाल और संकुलित था, आँखें भी संकुलित थीं, चेहरे की नसों में रक्त दिखाई दे रहा था, गर्दन और फेफड़े संकुलित थे। अपनी प्रति-परीक्षा में पी.डब्ल्यू.-10 द्वारा बताया गया है कि मृत्यु पोस्टमार्टम परीक्षण से 12-24 घंटे पहले हुई थी। इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष बताया कि पंचायतनामा रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु गला घोटने के कारण हुई थी। उसने आगे गवाही दिया कि मृत्यु का कारण श्वासवरोध था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि मृतका की गर्दन या शरीर पर ऐसी कोई चोट नहीं थी, जिसे नुकीले पत्थरों पर गिरने का कारण माना जा सके; हालाँकि, मृतका की गर्दन पर नीले रंग के नीलगू निशान पाए गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि गला घोटने के परिणामस्वरूप श्वासवरोध के कारण मृत्यु की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

49- पंचायतनामा रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि मृतका की मृत्यु छत से गिरने के बाद लगी चोटों से हुई थी। अभियुक्त का यह अभिकथन कि मृतका छत से गिर गई थी, चिकित्सा साक्ष्य के साथ सुसंगत नहीं है। कई चोटों की उपस्थिति किसी तीसरे पक्ष द्वारा बल प्रयोग का संकेत देती है। मृतका के शरीर पर पाई गई चोटें न तो प्रकृति में स्व-निर्मित हैं और न ही गिरने के साथ सुसंगत हैं, जैसा कि अभियुक्त ने दावा किया है कि मृतका छत से गिरी थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



50- गर्दन के आसपास की विशिष्ट चोटें और शरीर पर अन्यत्र संघर्ष के निशानों की उपस्थिति अक्सर हत्या की ओर ले जाती है। "गहरा लाल रक्त" और "हृदय के दाहिने भाग का भरा होना" आगे एक तीव्र मृत्यु का समर्थन करता है, जहां ऑक्सीजन कट गई थी, जिससे दबाव में हृदय विफल हो गया। शव परीक्षण रिपोर्ट में चेहरे की संकुलता और मुँह/आँखों के बंद होने का उल्लेख है। एक दर्दनाक गिरावट में, चोटें आमतौर पर विषम होती हैं (सिर या शरीर का एक हिस्सा अधिक क्षतिग्रस्त होता है)। चेहरे पर एकसमान संकुलता और पेटेकिया गर्दन के संकुचन के कारण होने वाले रक्त के बैकअप का सुझाव देते हैं, न कि किसी अचानक प्रभाव का सुझाव देते हैं।

51- जब एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्थानीय गर्दन की चोटों के साथ श्वासरोध के लक्षण (जैसे पेटेकियल रक्तस्राव और झाग) दिखाती है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निरंतर गिरने या आत्महत्या जैसी आकस्मिक मृत्यु के बजाय हत्यात्मक गला घोटने के निष्कर्ष की ओर झुकाव दिखाया है। वर्तमान वाद में यह ध्यान दिया गया है कि भले ही कोई बड़े बाहरी निशान न हों, लेकिन स्वरयंत्र की आंतरिक संकुलता और गर्दन की मांसपेशियों के नील की उपस्थिति गला घोटना सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन पर 1 सेमी x 1 सेमी के नीलगू निशान (चोट संख्या 2) और संकुलित स्वरयंत्र का उल्लेख है। यह वाद इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि ऐसे "मामूली" बाहरी निशान गर्दन पर हस्तचालित दबाव के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

52- अतः, उपरोक्त के आधार पर यह उचित रूप से माना जा सकता है कि मृतका के शरीर पर पाई गई मृत्यु-पूर्व चोटें गला घोटते समय उसके द्वारा किए गए संघर्ष के दौरान लगी होंगी। इसलिए चिकित्सा साक्ष्य आकस्मिक गिरावट को खारिज करते हैं और स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि मृतका की मृत्यु हत्यात्मक थी। इस प्रकार कॉर्पस डेलिक्टी स्थापित होने के साथ, जांच अपीलार्थी अभियुक्त की दोषिता की ओर मुड़ती है।

53- एक सूक्ष्म परीक्षण से पता चलता है कि घटना स्थल विवाद के दायरे से परे है। अभियोजन पक्ष का वाद यह स्थापित करता है कि मृत्यु ससुराल में हुई थी। इसकी पुष्टि पंचायतनामा के दौरान प्रलेखित वस्तु बरामदगी से भी होती है, जिसे सभी अभियोजन साक्षियों की गवाही के माध्यम से औपचारिक रूप से सिद्ध किया गया था कि उन्होंने मृतका को उसके ससुराल में मृत पाया था, यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि घटना बताए गए स्थान पर हुई थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



54- चूंकि घटना स्वीकार्य रूप से अभियुक्त अपीलार्थी के वैवाहिक घर में और उसकी उपस्थिति में हुई थी, इसलिए यह उसके लिए अनिवार्य था कि वह उन परिस्थितियों को समझाए, जिनमें मृतका की मृत्यु हुई थी। हालांकि, अभियुक्त अपीलार्थी इस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा। ऐसी परिस्थितियों में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 क्रियाशील हो जाती है, जो अभियुक्त पर उन तथ्यों को समझाने का भार डालती है, जो विशेष रूप से उसके ज्ञान में होते हैं, जब उसके घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होती है।

55- हाल ही में **सावित्री सामंतराय बनाम ओडिशा राज्य, 2022 लाइव लॉ (एससी) 503** के वाद में, परिस्थितियों के साक्ष्य के माध्यम से दोष की स्थापना और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रयोग के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:

"18. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 यह मानती है कि उन चीजों को साबित करने का भार, जो किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान के भीतर हैं, उसी व्यक्ति पर है। हालांकि यह धारा किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे साक्ष्य के अपने भार के निर्वहन से मुक्त नहीं करती है, यह केवल यह निर्धारित करती है कि जब किसी व्यक्ति ने कोई कृत्य किया है, जिसका आशय परिस्थितियों द्वारा इंगित आशय से भिन्न है, तो उस विशिष्ट आशय को साबित करने का दायित्व उस व्यक्ति पर आता है न कि अभियोजन पर। यदि अभियुक्त का आशय भिन्न था, तो वे तथ्य विशेष रूप से उसके ज्ञान में हैं जिन्हें उसे साबित करना होगा।

19. इस प्रकार, यद्यपि धारा 106 का उद्देश्य किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के दोष को स्थापित करने के अपने भार से राहत देना नहीं है, यह उन प्रकरणों पर लागू होता है, जहाँ अभियोजन द्वारा घटनाओं की श्रृंखला सफलतापूर्वक स्थापित की गई है, जिससे अभियुक्त के विरुद्ध एक उचित निष्कर्ष निकलता है। इसके अलावा, परिस्थितियों के साक्ष्य पर आधारित वाद में, जब भी अभियुक्त से कोई दोषारोपणकारी प्रश्न पूछा जाता है और वह या तो उत्तर देने से बचता है, या ऐसा उत्तर देता है जो सत्य नहीं है, तो ऐसा उत्तर अपने आप में घटनाओं की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाता है। [देखें त्रिमुख मारुति किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2006) 10 एससीसी 681"]

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



56- साबित्री सामंतराय (उपरोक्त) के इस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय **त्रिमुख मारुति किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2006) 10 एससीसी 681** पर भरोसा किया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"15. जहाँ हत्या जैसा अपराध घर के अंदर गुप्त रूप से किया जाता है, वहाँ वाद को स्थापित करने का प्रारंभिक भार निस्संदेह अभियोजन पक्ष पर होगा, लेकिन आरोप स्थापित करने के लिए इसके द्वारा पेश किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा उसी स्तर की नहीं हो सकती है, जैसी परिस्थितियों के साक्ष्य के अन्य वादों में आवश्यक होती है। भार तुलनात्मक रूप से हल्के चरित्र का होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के आलोक में घर के निवासियों पर यह समझाने का एक समान भार होगा कि अपराध कैसे किया गया था। घर के निवासी केवल चुप रहकर और इस कथित आधार पर कोई स्पष्टीकरण न देकर नहीं बच सकते कि अपना वाद स्थापित करने का भार पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर है और अभियुक्त का कोई स्पष्टीकरण देने का कोई कर्तव्य नहीं है।"

57- **गणेश लाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1992) 3 एससीसी 106** में प्रतिवेदित वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: -

"11. जब उनकी अभिरक्षा में मृत्यु हुई थी, तो अपीलार्थी धारा 313 द.प्र.सं. के बयान में अभियोजन वाद का खंडन करते हुए कम से कम एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य है। ये तथ्य पूरी तरह से निर्दोषता के साथ असंगत हैं, लेकिन इस परिकल्पना के साथ सुसंगत हैं कि अपीलार्थी अपनी पत्नी की जघन्य हत्या का मुख्य अभियुक्त है। इस प्रकार चर्चा किए गए परिस्थितियों के साक्ष्य पूर्ण हैं और केवल इसी निष्कर्ष के साथ सुसंगत हैं कि घर के निवासियों ने ही अपराध किया है और अपीलार्थी उनमें से एक था।"

58- **हरिजन भला तेजा बनाम गुजरात राज्य (2016) 12 एससीसी 665** के इस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य के भार पर जोर दिया और अवलोकन किया:

"19. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 यह प्रावधान करती है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति की जानकारी में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होता है। चूंकि अभिलेख पर यह साबित हो गया है कि केवल अपीलार्थी ही अपनी पत्नी की मृत्यु के समय उसके साथ रह रहा था, इसलिए उसे यह दिखाना होगा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



कि उसकी मृत्यु किस तरह हुई, विशेष रूप से तब, जब अभियोजन ने सफलतापूर्वक साबित कर दिया है कि उसकी मृत्यु हत्यात्मक मृत्यु थी।"

59- मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह (2025) 8 एससीसी 545 के एक बहुत हालिया वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः इस बात पर जोर दिया है कि हालांकि साक्ष्य का प्राथमिक भार अभियोजन पक्ष से कभी नहीं हटता है, धारा 106 एक साक्ष्य पुल के रूप में कार्य करता है और अभिनिर्धारित किया:

"87. धारा 106 स्पष्ट रूप से उन वादों को संदर्भित करती है, जहाँ अभियुक्त का दोष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर स्थापित होता है, जब तक कि अभियुक्त अपने विशेष ज्ञान के भीतर कुछ अन्य तथ्यों को साबित करने में सक्षम न हो, जो अभियोजन के साक्ष्य को शून्य कर दें। यदि ऐसी स्थिति में अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण देता है, जो सिद्ध परिस्थितियों में उचित रूप से सत्य हो सकता है, तो अभियुक्त को उचित संदेह का लाभ मिलता है, भले ही वह स्पष्टीकरण की सच्चाई को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम न हो। लेकिन यदि अभियुक्त ऐसे वाद में बिल्कुल भी कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या झूठा या अस्वीकार्य स्पष्टीकरण देता है, तो यह अपने आप में एक परिस्थिति है, जो उसके विरुद्ध जा सकती है। प्रो. ग्लानविले विलियम्स की भाषा में:

"अंतिम चरण में साक्ष्य के भार का स्थानांतरण, जो कुछ भी करता है, वह जूरी (न्यायालय) को अभियुक्त की चुप्पी या उसके साक्ष्य से प्रकट होने वाले संतोषजनक स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति को ध्यान में रखने की अनुमति देता है।" (जोर दिया गया)"

60- अभियुक्त-अपीलार्थी से जब धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत पूछा गया कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई, तो वह कोई भी प्रशंसनीय या संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहा और केवल इतना बताया कि उसकी मृत्यु गिरने के कारण हुई। अभियुक्त-अपीलार्थी ने कोई तत्काल चिकित्सा सहायता नहीं मांगा और मृतका को केवल पैरासिटामोल की गोलियां दीं, जो पूर्ण निष्क्रियता दर्शाती हैं और डॉक्टर से परामर्श करने में विफलता सामान्य मानवीय आचरण के साथ पूरी तरह से असंगत है और इसके बजाय सचेत उदासीनता को इंगित करता है। पी.डब्ल्यू.-10 डॉ. संजय ने राय दिया कि मृतका को लगी चोटें इस तरह की नहीं हैं, जो गिरने से लग सकती हों, इसलिए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चिकित्सा साक्ष्य अभियुक्त द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को निर्णायक रूप से असत्य सिद्ध करते हैं। चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में उसकी विफलता निर्दोषता की चूक नहीं बल्कि एक जानबूझकर की गई भूल है।

61- **तमिलनाडु राज्य बनाम राजेंद्रन, (1999) 8 एससीसी 679** में प्रतिवेदित वाद में माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि: -

"6. परिस्थितियों के साक्ष्य के एक वाद में जब अभियुक्त के सामने एक दोषारोपणकारी परिस्थिति रखी जाती है और उक्त अभियुक्त या तो कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या ऐसा स्पष्टीकरण देता है, जो असत्य पाया जाता है, तो वही परिस्थितियों की श्रृंखला में इसे पूर्ण बनाने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी बन जाता है।"

62- अभियुक्त पोस्टमार्टम के समय और दाह संस्कार के समय भी अनुपस्थित रहा और तब भी जब मृतका के मायके वाले पहुंचे थे। ऐसा आचरण पूरी तरह से अस्वाभाविक और मानवीय आचरण के विपरीत है और अभियुक्त की भूमिका पर संदेह पैदा करता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत साक्ष्य संबंधी महत्व रखता है। जब उसके द्वारा दिए गए झूठे स्पष्टीकरण और उसके संस्करण का खंडन करने वाले चिकित्सा साक्ष्यों के साथ विचार किया जाता है, तो यह अनुपस्थिति उसके दोष की ओर इशारा करने वाली एक अतिरिक्त दोषारोपणकारी परिस्थिति बन जाती है।

63- **रवि बनाम पंजाब राज्य (उपरोक्त)** के निर्णयज विधि के तथ्य, जिस पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया है, पूरी तरह से भिन्न हैं। इस निर्णयज विधि के तथ्यों में, डॉक्टरों ने मृत्यु की प्रकृति को गर्दन पर लिंगेचर मार्क के साथ फांसी के कारण श्वासवरोध बताया था, लेकिन प्रति-परीक्षा में स्वीकार किया कि लिंगेचर मार्क शव की लंबी यात्रा के कारण हो सकते हैं और मृतका की मृत्यु का कारण क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) भी हो सकता है।

64- **राकेश एवं अन्य (उपरोक्त)** के निर्णयज विधि में, मृत्यु के तरीके के संबंध में संदेह था कि यह आत्महत्या थी या हत्या। उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ था और साथ ही चिकित्सा साक्ष्यों द्वारा मृत्यु का समय स्थापित नहीं किया गया था। इस निर्णयज विधि के तथ्य वर्तमान वाद के तथ्यों से पूरी तरह भिन्न हैं, इसलिए यह निर्णयज विधि वर्तमान वाद में लागू नहीं होती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



65- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए एक अन्य निर्णयज विधि **कल्लू उर्फ कल्याण सिंह (उपरोक्त)** में, अभियुक्त की उपस्थिति संदिग्ध पाई गई थी, जिसने अभियोजन पक्ष के वाद की नींव को ही हिला दिया था, जबकि वर्तमान वाद के तथ्यों में अभियुक्त-अपीलार्थी की उपस्थिति स्थापित है, इसलिए यह निर्णयज विधि भी अभियुक्त-अपीलार्थी के काम की नहीं है।

66- **शिवाजी चिंताप्पा पाटिल (उपरोक्त)** के निर्णयज विधि में तथ्य भिन्न हैं कि संबंधित डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने में लगभग तीन माह की देरी हुई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया है कि साक्ष्य की श्रृंखला स्थापित करने में, जो एक-दूसरे के साथ इतनी बुनी हुई हो कि अभियुक्त के दोष के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष की ओर न ले जाए, अभियोजन उचित संदेह से परे एक भी दोषारोपणकारी परिस्थिति सिद्ध करने में विफल रहा है।

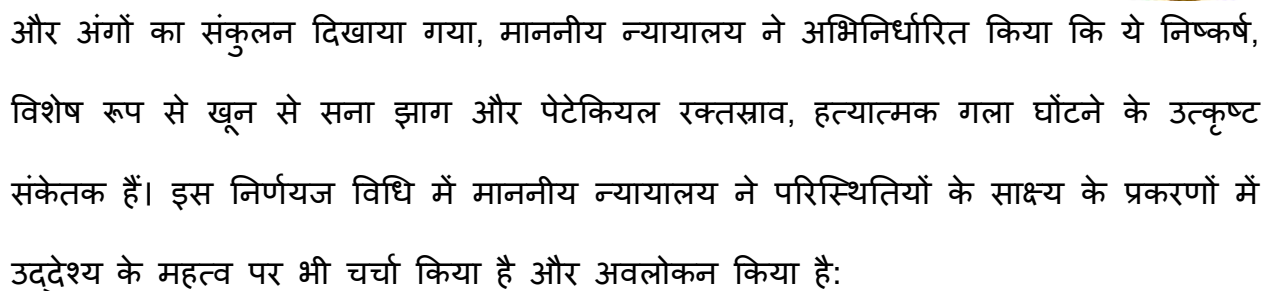
67- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी उठाया गया है कि अभियोजन अपराध कारित करने के लिए उद्देश्य स्थापित करने में विफल रहा है।

68- अपने विभिन्न निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निरंतर अभिनिर्धारित किया है कि जब वाद अन्यथा सिद्ध हो जाता है तो उद्देश्य के अस्तित्व को स्थापित करना आवश्यक नहीं होता है। विद्वान एजीए द्वारा भरोसा किए गए **प्रेम सिंह (उपरोक्त)** के निर्णयज विधि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया है:

"17.3. हमारा स्पष्ट मत है कि जब अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य अभियुक्त-अपीलार्थी के दोष को स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं, तो उद्देश्य से संबंधित कारक साक्ष्य से स्वाभाविक रूप से निकलने वाले निष्कर्षों को विस्थापित या कमजोर नहीं कर सकता है। इसके अलावा, वर्तमान वाद को पूरी तरह से उद्देश्य की कमी वाला वाद नहीं कहा जा सकता है। अलग तरीके से कहा जाए तो, हमारे विचार में, जब सभी तथ्यों और परिस्थितियों को एक साथ लिया जाता है, तो वर्तमान वाद ऐसा नहीं है, जहाँ परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई लुप्त कड़ी हो, जो केवल अपीलार्थी के दोष के निष्कर्ष की ओर ले जाती हो।"

69- **मुख्य राज बनाम सतीश कुमार (1992) 3 एससीसी 43** श्वासवरोध मृत्यु के संबंध में एक ऐतिहासिक वाद है। न्यायालय ऐसी स्थिति से निपटा, जहाँ बचाव पक्ष ने दावा किया कि मृतका की मृत्यु आत्महत्या से हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम में श्वासवरोध, नथुनों से खून से सना झाग

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



70- इसलिए, उपरोक्त चर्चाओं और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के मूल्यांकन, अर्थात् चिकित्सा राय, प्रशंसनीय स्पष्टीकरण देने में विफलता और अभियुक्त के आचरण से, यह बहुत स्पष्ट है कि ये परिस्थितियाँ संचयी रूप से केवल इसी अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाती हैं कि अभियुक्त मृतका की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है।

(न्यायमूर्ति दिवेश चन्द्र सामंत) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करण

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।